न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर (राज0)

राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट अभियान/शिविर "न्याय आपके द्वार" 2017
अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत बिंगोलाव, तहसील दूदू
शिविर प्रभारी अधिकारी– **श्री त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.**

राजस्व वाद–पत्र संख्या 103/2016
वाद दायरी दिनांक : 22/07/2016
निर्णय दिनांक : 24/5/17

1. श्रीमती सोनीदेवी धर्मपत्नी रामकरण
2. प्रभूलाल पुत्र रामकरण
3. पन्नाराम पुत्र रामकरण
4. प्रहलाद पुत्र रामकरण
5. श्रीमती पांची पुत्री रामकरण
6. श्रीमती रतनीदेवी पुत्री रामकरण
7. श्रीमती शान्ति पुत्री रामकरण
8. श्रीमती लाली पुत्री रामकरण

समस्त जातियान गुर्जर निवासीगण झखोलड, तहसील दूदू जिला जयपुर, राज0।

-- वादीगण

बनाम

तहसीलदारजी, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

-- प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज
(अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधि0–1955 व
136 भू राजस्व अधिनियम–1956)

उपस्थिति – ***श्री राजेन्द्र गुर्जर***
श्री महेन्द्र सिंह नाथावत
विद्वान अधिवक्ता वादीगण

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से
पैरोकार उपस्थित।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

निर्णय दिनांक 24/5/17

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद–पत्र बाबत घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के आराजी खाता संख्या 6 के खसरा नम्बर 129, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 170, 185, 188, 189,

Scanned by CamScanner

190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 299, 300 कुल किता 27 कुल रकबा 40.3300 हैक्टेयर, खाता संख्या 7 के खसरा नम्बर 180 रकबा 0.0200 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 181 रकबा 0.4500 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.4700 हैक्टेयर वाके ग्राम झकोलड, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0 में स्थित है, जिसमें खाता संख्या 06 में वादीगण 1/4 हिस्से के व खाता संख्या 7 में वादीगण 3/32 हिस्से के काबिज काश्त एवं रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। उक्त आराजीयात वादीगण व उनके स्व0 पिता को जरिये विरासत प्राप्त हुई है, पूर्व में उक्त आराजीयात वादीगण के पति/पिता करण पि. बन्ना के नाम से रही है, जिनका स्वर्गवास के पश्चात वादीगण को जरिये विरासत प्राप्त हुई हैं। वादीगण के पिता को करणा व रामकरण दोनों ही नामों से जाना एवं पुकारा जाता था, परन्तु समस्त दस्तावेजात राशनकार्ड, पहचान पत्र, आधारकार्ड, जॉबकार्ड में वादीगण के पिता/पति का नाम रामकरण पुत्र बन्ना दर्ज है, परन्तु राजस्व कारकुनानों द्वारा बन्ना की विरासत का नामान्तरकरण खोलते समय रामकरण का बोलता नाम करणा दर्ज कर दिया गया। इसी अनुसार करण को आधार मानते हुये विरासत का नामान्तरकरण वादीगण के पक्ष में खोल दिया गया हैं। वादीगण के पति/पिता का सही एवं वास्तविक नाम रामकरण है, लेकिन उक्त आराजीयात में सहवन से राजस्व कारकुनानों की गलती से वादीगण के पति/पिता का नाम करण दर्ज कर दिया गया, जो कि गलत है, जबकि वादीगण के पति/पिता का सही एवं वास्तविक नाम रामकरण हैं तथा इसी अनुसार दर्ज होना चाहिये था। उक्त प्रकार की त्रुटि मात्र सहवन से राजस्व कारकुनानों की गलती से हुई है, जो काबिले दुरूस्ती हैं। उक्त त्रुटि से वादीगण को के.सी.सी. बनाने एवं अन्य कार्यो में भारी असुविधा का सामना करना पडता हैं। वादीगण के समस्त दस्तोवज यथा राशनकार्ड, आधारकार्ड, मतदाता पहचान–पत्र आदि सभी दस्तावेजों में वादीगण की वल्दियत रामकरण ही दर्ज है अर्थात वादीगण के पति/पिता का सही नाम रामकरण ही दर्ज है, जिससे भी यह साबित है कि जो नाम करण दर्ज हुआ है, वह सहवन से राजस्व कारकुनानों द्वारा दर्ज किया गया है, जो काबिले दुरूस्ती है। अभी हाल ही में दिनांक 15/07/2016 को वादीगण ने किसान केडिट कार्ड बनवाने हेतु जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुई, इस पर वादीगण ने पटवारी हल्का से उक्त इन्द्राज को दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया तो पटवारी हल्का ने उक्त इन्द्राज दुरूस्ती करने से इन्कार कर दिया, तब तहसीलदार महोदय को इन्द्राज दुरूस्ती हेतु निवेदन किया तो

अधिकारी
ला जयपुर

Scanned by CamScanner

तहसीलदार महोदय ने माननीय न्यायालय में चाराजोंही कर इन्द्राज को दुरूस्त करवाने की सलाह दी, इसलिये वादीगण को उक्त वाद–पत्र बाबत दुरूस्ती इन्द्राज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ हैं।

वादीगण ने वाद–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि वादीगण का वाद डिकी किया जाकर घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज इस आशय का किया जावें कि विवादित आराजी वर्णित वाद–पत्र के पैरा संख्या 1 में वादीगण की वल्दियत करण को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर रामकरण दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादी जारी की गयी। दिनांक 22/02/2017 को प्रतिवादी/तहसीलदार की ओर से जवाब पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 17/04/2017 को वादीगण की ओर से गवाह पी.डब्ल्यू 1 प्रभूलाल, पी.डब्ल्यू 2 गिरधारी, पी.डब्ल्यू 3 सुजाराम, पी.डब्ल्यू 4 किशन के शपथ–पत्र पेश हुये, जिन पर बयान लिये गये। वकील वादी ओर साक्ष्य पेश नही करना जाहिर किया।

दिनांक 24/05/2017 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत एवं कैम्प कोर्ट शिविर ''न्याय आपके द्वार''–2014 मुकाम अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत बिंगोलाव में पेश हुई। वादीगण अधिवक्ता एवं पैरोकार कैम्प में उपस्थित हुये।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण तथा पैरोकार राज की बहस कैम्प कोर्ट बिंगोलाव में मजमे आम में सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादीगण व पैरोकार की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, दस्तावेजात सत्यप्रतिलिपी जमाबन्दी खाता संख्या 6, 7 वाके ग्राम झकोलड, राशनकार्ड, पहचान पत्र, आधार–कार्ड इत्यादि, फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण–पत्र रामकरण, फोटो प्रति सजरा खानदान रामकरण तथा पेरोकार द्वारा प्रस्तुत जवाब आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 6 व 7 में वादीगण की वल्दियत करण दर्ज है, जिसको वादीगण रामकरण करवाना चाहते हैं। मजमे आम में जानकारी करने पर वादीगण के पति/पिता के दोनों नामों अर्थात करण उर्फ रामकरण की पुष्टि हुयी। वादीगण द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजात यथा राशनकार्ड, पहचान–पत्र व आधारकार्ड आदि में वादीगण की वल्दियत रामकरण ही दर्ज है एवं

खण्ड अधिकारी
... जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

मृत्यु प्रमाण–पत्र जो ग्राम पंचायत बिंगोलाव के रजिस्ट्रीकरण संख्या 08110005430056800001/2016 दिनांक 18/01/2016 में रामकरण उर्फ करणा दर्ज है, जिससे यह पाया जाता है कि वादीगण के पति/पिता को दोनों नामों अर्थात रामकरण व करण से जाना जाता था, इसलिये राजस्व रिकार्ड में करण नाम दर्ज कर दिया गया एवं अन्य दस्तावेजों में रामकरण दर्ज कर दिया गया, अब वादीगण करण के स्थान पर रामकरण दर्ज करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 6 के खसरा नम्बर 129, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 170, 185, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 299, 300 कुल किता 27 कुल रकबा 40.3300 हैक्टेयर, खाता संख्या 7 के खसरा नम्बर 180 रकबा 0.0200 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 181 रकबा 0.4500 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.4700 हैक्टेयर वाके ग्राम झकोलड, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0 में दर्ज वादीगण की वल्दियत करण को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर रामकरण दर्ज किया जाता हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 24/5/17 को मजमे आम ग्राम पंचायत बिंगोलाव में सुनाया गया।

(मुद्रा: उपखण्ड अधिकारी दूदू (जयपुर))

शिविर प्रभारी/उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
दूदू (जयपुर)

Scanned by CamScanner

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन : 3.. ..42

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम दूदू. जिला-जयपुर।

...लास श्री बिनोद चन्द मीना - आर.ए.एस.

श्रीमती सोनी देवी बनाम तहसीलदार-तहसील दूदू।

दावा बावत घोषणा हुक्मी इस्तान

मुकदमा नं. 103/2016 सन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री राजेन्द्र गुर्जर

...जिरी

मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री महेन्द्रसिंह नाथावत

अधिवक्ता वादीगण/

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

...अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र डिक्री किया जाकर वादग्रस्त

...आराजी खाता सं. 6 के ख.नं. 129, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 154, 155,

...56, 157, 158, 159, 160, 170, 185, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195

...97, 299, 300 कुल किता 27 कुल रकबा 40.3300 हे० खाता सं० 07

P.T.O.

मुबलिग बाबत

इस मुकदमे के गय सूद बशरह फीसदी ...... आज की तारीख से

...ब अदायगी तक का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24.5.2017 माह सन

की गई।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी दूदू (जयपुर)

दस्तखत

ओहदा

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
...म्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
...म्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
...म्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
...ताना वकील			खर्चा गवाहान.		
... गवाहान			फीस कमिश्नर		
... कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
... इजराय हुक्मनामा			गुतफरिक		
...रिक					
			मीजान		
मीजान					

...स खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

के खसरा नं० 180 रकबा 0.0200 हे० व खसरा नं० 181 र
0.4500 हे० कुल किता 02 कुल रकबा 0.4700 हे० वाके ग्राम
झा कोलाडा, तहसील दूदू, जिला जयपुर राज० में दर्ज कागजा
की वल्दियत कारण को हजफ किया जाकर उसके स्थान
पर रामकरण दर्ज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर